बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

आदेश

संचिका संख्या– 5 नि०गो०वि० (2) 06/2024–...................... /पटना–15, दिनांक–...............

मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय डायरी संख्या 734, दिनांक 20.02.2024 से प्राप्त परिवाद–पत्र में परिवादी श्री पुण्यदेव सहनी, पिता– जोखु सहनी, ग्राम– सिहोरवा, पो०– गौनाहा, थाना–रक्सौल, जिला– पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के द्वारा श्री मनोरंजन कुमार, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी तथा उनके चालक,श्री संतोष पासवान के विरूद्ध मोतिहारी जिला के सम्पूर्ण मछुआरा समितियों एवं सदस्यों से रिश्वत सीधे न लेकर अपने चालक श्री संतोष के माध्यम से प्राप्त करने, काम हो जाने के पश्चात लिये गये रिश्वत का बँटवारा करने, रिश्वत के एवज में कार्यो को रोक कर रखे रहने तथा रक्सौल समिति के साथ बंदोबस्त तालाबों की बंदोबस्ती बरकरार रखने के लिए क्रमशः तीन लाख रूपये तथा आदापुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के साथ की गयी बंदोबस्ती को सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर के आदेश को रद्द कराने के लिए श्री कुमार के द्वारा सक्षम प्राधिकार के नाम पर भी दो लाख रूपये अर्थात कुल पांच लाख रूपये श्री पासवान के माध्यम से लेने का आरोप लगाया गया।

2. उक्त आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 138 नि०गो०, दिनांक 03.05.2024 द्वारा निदेशक, मत्स्य से की गयी।

3. विदित हो कि श्री पुण्यदेव सहनी के परिवाद–पत्र पर कार्रवाई मत्स्य निदेशालय के स्तर से पूर्व से की जा रही थी। उक्त परिवाद–पत्र में श्री कुमार तथा उनके चालक श्री पासवान के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 138 नि०गो० दिनांक 03.05.2024 द्वारा निदेशक, मत्स्य से किया गया, लेकिन उससे पूर्व ही मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 273, दिनांक 01.03.2024 के आलोक में निदेशक, मत्स्य के द्वारा मामले की जाँच उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से कराकर वांछित जाँच प्रतिवेदन विभाग को निदेशक, मत्स्य के पत्रांक 525, दिनांक 30.04.2024 से उपलब्ध करा दिया गया।

4. उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 117 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा निदेशक, मत्स्य को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य के रूप में अंकित किया गया कि वाहन चालक श्री संतोष पासवान द्वारा काम कराने के एवज में जो राशि लिया जा रहा था, वह जिला मत्स्य पदाधिकारी, श्री मनोरंजन कुमार के संरक्षण में ही लिया जा रहा था, क्योंकि एक संविदाकर्मी वाहन चालक इतनी राशि का लेन–देन बिना किसी के संरक्षण में नही कर सकता है।

5. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 272 नि०गो०, दिनांक 13.08.2024 द्वारा श्री मनोरंजन कुमार, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण जिला मत्स्य कार्यालय, गोपालगंज के पत्रांक 1417, दिनांक 27.08.2024 से समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप को काल्पनिक, स्वगठित एवं मनगढ़ंत बतलाते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया गया है कि उनके द्वारा लेन–देन में संरक्षण देने संबंधी साक्ष्य जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संलग्न नहीं है। चालक विभागीय कार्यो के सम्पादन में किसी भी पदक्रम में नहीं आते है। आरोप की जाँच के क्रम में जाँच पदाधिकारी, उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर के द्वारा ऑडियों रिकॉडिंग सुनाया गया था। जिसमें कहीं भी उनके द्वारा राशि मांगने संबंधी या श्री संतोष पासवान, चालक के द्वारा उनके नाम पर राशि मांगने संबंधी तथ्य/वार्त्ता प्रकाश में नहीं आया।

6. श्री कुमार के द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण पर निदेशक, मत्स्य से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। निदेशक, मत्स्य के द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य में प्रश्नगत मामले में निम्न दो बिंदुओं पर पुनः जाँच कराने का मंतव्य दिया गया :–

(i) परिवादी श्री पुण्यदेव सहनी के परिवाद–पत्र के साथ ₹ 30,000/–(तीस हजार रूपये) के Transaction का Screenshot संलग्न है। चालक श्री संतोष पासवान के द्वारा ₹ 30,000/– (तीस हजार रूपये) किसे Transfer किया गया है।

(ii) होटल दिव्या राज में लगे CCTV Footage एवं होटल के मैनेजर से जाँच के विषय में जाँच प्रतिवेदन में कोई चर्चा नहीं है।

7. निदेशक, मत्स्य से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक 72 नि०गो० दिनांक 31.01.2025 द्वारा उक्त दो बिन्दुओं पर पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से किया गया। उक्त के अनुपालन में उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा उक्त वर्णित बिन्दुओं की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 69 दिनांक 13.02.2025 से समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कंडिका 05 में वर्णित दोनों बिन्दुओं के संबंध में जाँच प्रतिवेदन में निम्नवत तथ्य प्रतिवेदित किया गया :–

(i) चालक श्री संतोष पासवान के द्वारा ₹ 30,000/–(तीस हजार रूपये) परिवादी श्री पुण्यदेव सहनी के बैंक खाता संख्या– 00000010973238353 में दिनांक 23.11.2023 को फोन पे के माध्यम से भेजा गया, जिसका यू०टी०आर० संख्या– 369319608004 है, जो कि परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक पासबुक की छायाप्रति विवरणी से मेल खाता है।

(ii) निर्धारित जाँच की तिथि दिनांक 11.02.2024 को दिव्या राज होटल में जाँच के क्रम में उपस्थित होटल प्रबंधक द्वारा बताया गया कि CCTV Footage के HDD में मात्र 15–20 दिनों के पूर्व का ही अद्यतन Footage है। इसलिए 15–20 दिनों से पहले का Footage देने में उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी। साथ ही दिव्या राज होटल के होटल प्रबंधक द्वारा बताया गया कि मालिक रांची में रहते है। जाँच के क्रम में उक्त होटल के होटल प्रबंधक से दिनांक 09.10.2023 से श्री मनोरंजन कुमार के होटल में ठहरने संबंधी डिटेल आगंतुक रजिस्टर से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में होटल प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि रजिस्टर मालिक द्वारा अंकेक्षण कराने हेतु रांची ले जाया गया है। रांची में ही अंकेक्षण का कार्य कराया जाता है। इसकारण रजिस्टर देने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

8. उक्त आलोक में श्री मनोरंजन कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्रकरण में श्री कुमार की संलिप्तता स्थापित किये जाने में कठिनाई है। उक्त आलोक में श्री मनोरंजन कुमार, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज को चेतावनी अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मनोरंजन कुमार, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज को चेतावनी अधिरोपित किया जाता है।

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि०गो०वि० (2) 06/2024–164 नि०गो०वि० / पटना–15, दिनांक–28/03/2025

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री महोदया के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी, गोपालगंज/पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/श्री मनोरंजन कुमार, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई० टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/25

(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

6